न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 56 / 2017 दायर दिनांक 04.07.2017

उनवान

प्रभूलाल

अप्रार्थी / वादी

बनाम

सुरेशचन्द्र वगै.

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :—

प्रार्थी / प्रतिवादी सं. 1 से 5 :— श्री नीलकमल त्रिवेदी

अप्रार्थी / वादी :— श्री सुभाष दांगी

आदेश दिनांक 13.05.2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित। प्रार्थी / प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 910 व 909 है जिसके प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है। प्रार्थीगण 1 लगायतं 4 के पिता एवं प्रार्थीया नं. 5 के पति रतनलाल ने अभी भी कोई तहरीर वादी के पक्ष में नहीं लिखी है। दिनांक 19.06.2002 का इंकरारनामा होना वादी बता रहा है जो अवैधानिक है। इस करार नामें के आधार पर माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का पात्र नहीं है। यह कि धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के तहत न्यायायल तहसीलदार तहसील पिड़ावा ने इसी आराजी के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें दिनांक 31.01.2017 को न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा ने निर्णय करते हुए वादी एवं कंचन[illegible] को बेदखल कर प्रार्थीगण को कब्जा दिलाये जाने का आदेश दिया था। जिसकी अपील वादी एवं कंचनबाई ने न्यायालय जिला कलेक्टर झालावाड़ में पेश की थी [illegible] दिनांक 27.06.2017 को खारीज हो चुकी है उसके पश्चात वादी [illegible]नीय न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

यह वाद पेश कर दिया है जो की चलने योग्य नहीं है क्योंकि इकरारनामे के आधार पर खातेदारी घोषणा का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। यह कि वादी का वाद राज.टी.एक्ट की धारा 42 के तहत बाधित है क्योंकि किसी भी अनुसुचित जाति के सदस्य की भूमि किसी अन्य जाति के सदस्य को बैचान वैध नहीं है इसलिए भी वादी का वाद प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारीज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. अप्रार्थी/वादी ने प्रतिवादी नं. 1 से 5 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत है अस्वीकार है सही तथ्य यह है की ग्राम दुबलिया की आराजी खसरा न. 910 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व इसी से लगी खसरा न. 909 रकबा 8 बीघा में से 6 बिस्वा को वादी ने दिनांक 19.6.2002 को प्रतिवादीगण के पिता रतनलाल से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर मोके पर खातेदार की हैसियत से काबिज चला आ रहा है। वादी के वैधानिक कब्जे कास्त को 22 साल से अधिक समय लगातार शांति पूर्वक कब्जा काश्त हो चुका है जिस कारण बेचान अवेधानिक होने का तथ्य गलत है उक्त प्रकरण के तथ्य तनकी बनने के बाद साक्ष्य आने पर ही वैधानिक रूप से निर्णय हो सकेगा। यह कि उक्त पेरे में प्रतिवादी द्वारा आधी अधूरी जानकारी दर्ज की है पुरे सही तथ्यों को जानबुझ कर प्रतिवादीगण द्वारा छिपाया गया है उक्त प्रकरण की अपील माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे लंबित होकर राजस्व मंडल से विबादित आराजी की राज्स्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी कर रखा है। वादी का कब्जा लगातार शांति पूर्वक 22 सालो से चला आ रहा है और वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा कब्जा लेने की अवधि 12 साल समाप्त हो चुकी है जिस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य भ्रामक व गलत दर्ज किये गये है जो अस्वीकार है धारा 42 लागू नहीं होती है क्योंकि वादी प्रतिवादी दोनों अनुसूचित जाति के होने से बेचान वैधानिक है ... में साक्ष्य आने पर ही वैधानिक निर्णय हो सकेगा। अतः जवाब प्रार्थना ... कर निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला (राज॰)

लगातार 12 सालो से अधिक समय से होने से वादी को खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है जिस कारण वादी उक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित

Scanned with OKEN Scanner

है की प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर चलने योग्य नही है प्रकरण साक्ष्य का मोहताज है प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जावे ।

3. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा बहस प्रार्थना पत्र के दौरान कथन किया कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार कृषक एवं कब्जाधारी है। अप्रार्थीगण बेचान इकरार दिनांक 19.06.2001 के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है जबकि ऐसी संविदा की पालना हेतु अप्रार्थीगण को विशिष्ट अनुतोष अधिनियम में सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। किसी बेचान इकरार के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी/वादी व अन्य के विरूद्ध एक वाद सं. 1/2016 अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट न्यायालय तहसीलदार पिडावा के समक्ष पेश किया गया था जिसे न्यायालय तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 31.01.2017 से वादी प्रभूलाल व कंचनबाई को बेदखल कर प्रार्थीगण को कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया था जिसकी वादी/अप्रार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड के समक्ष अपील सं. 02/2017 पेश की थी जिसे दिनांक 27.06.2017 को खारीज कर दिया गया था। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड के निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी/वादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी सं. 4714/2017 दायर की गई जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.10.2024 से खारीज कर दिया गया है। तीनो न्यायालयों से हारने के बाद अप्रार्थी/वादी द्वारा बेचान इकरार एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु यह वाद पेश किया गया है जो **क्षेत्राधिकार से वर्जित होने** से इसी स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि अप्रार्थी/वादी ने वाद पत्र के मद कम 7 में दिनांक 28.06.2017 को वाद हेतुक उत्पन्न होना बताया गया है जबकि प्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी/वादी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार पिडावा के समक्ष प्रकरण सं. 1/2016 अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट पेश करने के साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कारण हेतुक उत्पन्न हो चुका था। अतः अप्रार्थी/वादी का वाद **कारण हेतुक के अभाव** में इसी स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है।

4. अभिभाषक अप्रार्थी/वादी द्वारा उक्त बहस प्रार्थना पत्र का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में विशिष्ट संविदा की पालना के लिए वाद दायर नहीं किया है बल्कि धारा 88, 91, 188 आदि के अधीन खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु वाद दायर किया है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का अधिकार राजस्व न्यायालय का है। अप्रार्थी ने जरिये बेचान इकरार दिनांक 19.06.2002 से वादग्रस्त आराजी को क्रय कर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था और तभी से लगातार कब्जे काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार पिडावा के समक्ष जो वाद सं. 01/2016 अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट पेश किया गया था उसकी अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अप्रार्थी/वादी को सुने बिना एकतरफा निर्णय जारी किया था। जब प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.06.2017 को अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजी पर फसल नहीं बोने देन व बेदखल करने की धमकी दी गई और दस्तावेज देखे गये तब प्रकरण की जानकारी हुई थी। अतः प्रकरण में कारण हेतुक उत्पन्न होता है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा आगे कथन किया गया कि हस्तगत प्रकरण में बेचान इकरार दिनांक 19.06.2002 एवं तभी से चले आ रहे लम्बे कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करना विधि व तथ्यों का समिश्र प्रश्न है जो तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर निर्धारित किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

5. उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में वाद पत्र, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व संलग्न दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा पेश वाद पत्र के मद क्रम 1 से 5 के अवलोकन से [illegible] है [illegible] वादी द्वारा ग्राम दुबलिया की वादग्रस्त आराजी [illegible] 909 व 910 [illegible] 2–00 बीघा भूमि के क्रय हेतु साधारण पेपर [illegible] रतनलाल पि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

कंवरलाल मेघवाल के साथ किये गये बेचान इकरार की तहरीर के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। अप्रार्थी/वादी द्वारा सामान्य पेपर पर किये गये उक्त बेचान इकरार तहरीर दिनांक 19.06.2002 की फोटोप्रति पेश की गई है। बेचान इकरार न तो किसी निश्चित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर किया गया है और न ही किसी पब्लिक नोटरी से तस्दीक कराया गया है। यह सुस्थापित विधि का सिद्धान्त है कि अपंजीकृत एवं अ–नोटेराईज बेचान इकरार की फोटोप्रति को न तो साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है और न ही ऐसे बेचान इकरार तहरीर से कोई टाईटल या अधिकार उत्पन्न होते है। ऐसे बेचान इकरार के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी को लेकर तहसीलदार पिडावा के निर्णय दिनांक 31.01.2017 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड के समक्ष अपील सं. 02/2017 पेश की थी जिसे दिनांक 27.06.2017 को खारीज कर दिया गया था। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड के निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी/वादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी सं. 4714/2017 दायर की गई जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.10.2024 से खारीज कर दिया गया है।

6. **2025(1) डीएनजे (रेवन्यु) 117** मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर कोई अधिकार या शीर्षक नहीं बनाया जा सकता है और ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार भी नहीं दिये जा सकते है। इसी प्रकार **आर.आर.टी 2019(1) पेज 332** में अभिनिर्धारित किया गया है कि "Unregisterd document do not confer any right or title". इसी प्रकार पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार 100 रूप्ये से अधिक मूल्य के अचल सम्पत्ति का पंजीयन अनिवार्य है।

आर.आर.टी 2009(1) पेज 677 मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि "Unregisterd agreement can not be received in evidence even for collateral purpose". आर.आर.टी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2021(2) पेज 1227 मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि "Unregisterd agreement alleged to be executed by the plainpiff- it was not admissible in evidence". डीएमजे 2023(1) पेज 457 मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि "Document which is not properly stamped is inadmissible in evidence". इसी प्रकार आर.आर.टी 2021(2) पेज 1227 मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि "Unregisterd agreement alleged to be executed by the plainpiff- it was not admissible in evidence".

7. अप्रार्थी/वादी ने वाद पत्र में जिस unregisterd and unstamped दिनांक 19.06.2002 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है, की पालना के लिए विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। ऐसे अपंजीकृत बेचान इकरार के विशिष्ट अनुतोष की पालना एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 आर.टी.एक्ट राजस्व न्यायालयों द्वारा नहीं की जा सकती है और इसलिए ऐसे बेचान इकरार के आधार पर राजस्व न्यायालयों के समक्ष न तो कोई कारण हेतुक उत्पन्न होता है और न ही राजस्व न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार होता है। बेचान इकरार की विशिष्ट अनुपालना में खातेदारी अधिकारों की घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है। अतः हस्तगत प्रकरण में राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न का अभिनिर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की फूल बैंच द्वारा वर्ष 2011 में यह भी अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जा/कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अप्रार्थी/वादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

8. प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

11. Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases:— (a) where it does not disclose a cause of action; (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so; (c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so; (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law; (e) where it is not filed in duplicate; (f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.

Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

9. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है:–

"While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court has to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected".

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

10. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित याचिका उनवान Azhar Hussain vs Rajiv Gandhi में दिनांक 25.04.1986 को सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The whole purpose of conferment of such powers is to ensure that a litigation which is meaningless and bound to prove abortive should not be permitted to occupy the time of the court and exercise the mind of the respondent. The sword of Damocle need not be kept hanging over his head unnecessarily without point or purpose. Even in an ordinary Civil litigation the Court readily exercises the power to reject a plaint if it does not disclose any cause of action. Or the power to direct the concerned party to strike out unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious parts of the pleadings. Or such pleadings which are likely to cause embarrassment or delay the fair trial of the action or which is otherwise an abuse of the process of law. An order directing a party to strike out a part of the pleading would result in the termination of the case arising in the context of the said pleading. The Courts in exercise of the powers under the Code of Civil Procedure can also treat any point going to the root of the matter such as one pertaining to jurisdiction or maintainability as a preliminary point and can dismiss a suit without proceeding to record evidence and hear elaborate arguments in the context of such evidence, if the Court is satisfied that the action would terminate in view of the merits of the preliminary point of objection".

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 28.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The real object of Order VII Rule 11 of the Code is to keep out of courts irresponsible law suits. Therefore, the Order X of the Code is a tool in the hands of the Courts by resorting to which and by searching examination of the party in case the Court is prima facie of the view that the suit is an abuse of the process of the court in the sense that it is a bogus and irresponsible litigation, the jurisdiction under Order VII Rule 11 of the Code can be exercised".

12. उपरोक्त विधिक प्रावधान न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीरु/वादी द्वारा ग्राम दुबलिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 909 व 910 में से 2–00 बीघा भूमि पर साधारण पेपर पर किये गये unregisterd, unstamped and unnotarized sale agreement की पालना में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अतः स्पष्ट है कि वादी का मुख्य अनुतोष unregisterd, unstamped and unnotarized sale agreement की विशिष्ट अनुपालना कराना है जबकि ऐसी अनुपालना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना सहायक अनुतोष है। किसी अपंजीकृत एवं अनस्टाम्पड बेचान इकरार की प्रतिलिपी विशिष्ट अनुपालना कराने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को नहीं है। यदि किसी वाद में मूल अनुतोष खातेदारी अधिकारो की घोषणा है और सहायक अनुतोष किसी Ab-Initio Void रजिस्टर्ड दस्तावेज को खारीज करने का हो तो क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का न होकर राजस्व न्यायालय का होता है। वादी द्वारा बेचान इकरार के समय से चले आ रहे प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर भी खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की फूल बैंच द्वारा वर्ष 2011 में यह भी अवधारित किया जा चुका हे कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रतिकूल कब्जा/कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कोई प्रावधान नहीं है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र का मुख्य विषय वादपत्र का क्षेत्राधिकार से वर्जित होना है। सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी तथा उपबन्ध–ए के तहत वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के आधार पर दावा खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आदेश 7 नियम 11(डी) सीपीसी के प्रावधानों का मुख्य सारांश यह है कि किसी न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया जावेगा यदि 'वादपत्र के अभिकथन स्पष्टतः किसी विधी के प्रावधानों से वर्जित हैं। अगर वाद पत्र के किसी अभिकथन से दावा विधि से वर्जित नहीं है तो आदेष 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में वर्णित अतिरिक्त तथ्यों के आधार पर दावे को प्राथमिक रूप से खारिज नहीं किया जाकर तथ्यों/विधि के प्रश्नों के आधार पर पृथक से विवाद्यकों विरचित कर साक्ष्य, गवाह व दस्तावेजों के आधार पर निर्णय किया जायेगा। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार प्रावधानों से वर्जित है।

13. सर्वप्रथम माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान M.Nelson Babu vs K.Kamalesh Babu में दिनांक 15.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"11. Order 7 Rule 11(d) has limited application. For its applicability, it must be shown that the present suit is barred under law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. What would be the relevant for invoking Order 7 Rule 11(d) of CPC are the averments made in the plaint and for that purpose, there cannot be any addition or subtraction. For the purpose of invoking the said provision, no amount of evidence can be looked into".

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

14. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Deva Jayalakshmi & Others Vs. Kapoor Enterprises में दिनांक 26.08.2009 को दिये गये निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़
Scanned with OKEN Scanner

में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Law within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well".

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3460/2000 उनवान Popat and Kotecha Property Vs. State Bank of India Staff Association में दिनांक 29.08. 2005 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"Clause (d) of Order VII Rule 7 speaks of suit, as appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Disputed questions cannot be decided at the time of considering an application filed under Order VII Rule 11 CPC. Clause (d) of Rule 11 of Order VII applies in those cases only where the statement made by the plaintiff in the plaint, without any doubt or dispute shows that the suit is barred by any law in force".

16. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Balachandra Builders Vs. Anis and others में दिनांक 01.03.2017 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"24. Yet another contention of the learned counsel for the applicant/original 6th defendant is that the suit has to be rejected on the ground of limitation. According to the learned counsel though

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

plea of limitation is generally mixed question of law and facts, when the suit itself is filed beyond the period of limitation, as specifically provided, the suit should be rejected under Order 7 Rule 11 (d), 7 and 8 CPC. In support of his contention, the learned counsel relied on the judgment reported in (2007) 5 SCC 614 (HARDESH ORES (P) LTD. V. HEDE AND COMPANY), wherein the Hon'ble Apex Court in paragraph No.25 and 41 held as follows:

"25.The language of Order 7, Rule 11, C.P.C. is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the Suit appears from the statement in the Plaint to be barred by any law. Mr.Nariman did not dispute that "law" within the meaning of clause (d) of Order 7, Rule 11 must include the law of limitation as well. It is well settled what whether a Plaint discloses a cause of action is essentially a question of fact, but whether it does or does not must be found out from reading the Plaint itself. For the said purpose the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is whether the averments made in the Plaint, if taken to be correct in their entirety, a decree would be passed. The averments made in the Plaint as a whole have to be seen to find out whether clause (d) of Rule 11 of Order 7 is applicable. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction of words or change of its apparent grammatical sense. As observed earlier, the language of clause (d) is quite clear but if any authority is required, one may usefully refer to the judgments of this court in Liverpool & London S.P. & I. Assn. Ltd. M.V. Sea Success I and Popat and Kotecha Property Vs. State Bank of India Staff Assn.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

17. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Kasthuri and others Vs. Baskaran and another में दिनांक 22.08.2003 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"19. It is settled law as held by various Courts that where on the face of the plaint, a suit appears to be barred by any law, the Court shall dismiss the suit. But where it does not so appear, but requires further consideration or, in other words, if there be any doubt or if the Court is not sure and certain that the suit is barred by some law, the Court cannot reject the plaint under Clause (d) of Order 7 Rule 11 of C.P.C.

"20. In this context, it would be relevant to quote the observation made by the Bombay High Court in A.I.R.1999 Bombay 161 (supra), with which I entirely agree. The observation is as follows:

"It is settled law that the plaint can be rejected as disclosing no cause of action if the Court finds that it is plain and obvious that the case put forward is unarguable. The phrase "does not disclose a cause of action" has to be very narrowly co ued. Rejection of the plaint at the threshold entails very serious consequences for the plaintiff. This power has, therefore, to be used in exceptional circumstances. The Court has to be absolutely sure that on a meaningful reading of the plaint it does not make out any case. The plaint can only be rejected where it does not disclose a cause of action or where the suit appears from the statements made in the plaint to be barred by any provision of the law. While exercising the power of rejecting the plaint, the Court has to act with utmost caution. This power ought to be used only when the Court is absolutely sure that the plaintiff does not have an arguable case at all. The exercise of this power though arising in civil procedure,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

can be said to belong to the realm of criminal jurisprudence and any benefit of the doubt must go to the plaintiff, whose plaint is to be branded as an abuse of the process of the Court. This jurisdiction ought to be very sparingly exercised and only in very exceptional cases. The exercise of this power would not be justified merely because the story told in the pleadings was highly improbable or which may be difficult to believe

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 4766/2001 उनवान Ramesh B. Desai and Others Vs. Bipin Vadilal Mehta and Others, में दिनांक 11.07.2006 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"The plaint without addition or subtraction must show that it is barred by any law to attract application of Order 7 Rule 11 CPC. The principle is, therefore, well settled that in order to examine whether the plaint is barred by any law, as contemplated by sub-rule (d) of Order VII Rule 11 CPC, the averments made in the plaint alone have to be seen and they have to be assumed to be correct. It is not permissible to look into the pleas raised in the written statement or to any piece of evidence.

19. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Chandra Vs. Reddappa Reddy में दिनांक 10.06.2011 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"When a part of the relief sought for in the plaint is within time and even if another part of the relief sought in the plaint is barred by limitation, a plaint cannot be rejection in part. A plaint cannot be rejected in part is a well settled proposition of law.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

Therefore, the trial court is right in rejecting the application. Further, it has to be pointed out that it is also well settled that the question of limitation is a mixed question of law and fact and therefore that has to be decided only on the basis of the evidence adduced in the trial and therefore the trial court is right in rejecting the application.

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 2517/2007 उनवान Hardesh Ores Pvt. Ltd vs M/S. Hede And Company में दिनांक 15.05.2007 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

"21. The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Mr. Nariman did not dispute that "law" within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well. It is well settled that whether a plaint discloses a cause of action is essentially a question of fact, but whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is whether the averments made in the plaint if taken to be correct in their entirety a decree would be passed. The averments made in the plaint as a whole have to be seen to find out whether clause (d) of Rule 11 of Order VII is applicable. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form which has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands, without addition or subtraction of words or change of its apparent grammatical

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

sense. As observed earlier, the language of clause (d) is quite clear but if any authority is required, one may usefully refer to the judgments of this court in Liverpool & London S.P. & I Association Ltd. Vs. M.V. Sea Success I and another : (2004) 9 SCC 512 and Popat and Kotecha Property Vs. State Bank of India Staff Association : (2005) 7 SCC 510.

21. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम दुबलिया के वादग्रस्त आराजी ख.नं. 909 व 910 के 2–00 बीघा भूमि पर अपंजीकृत एवं अनस्टाम्पड बेचान इकरार की प्रतिलिपी दिनांक 19.06.2002 की विशिष्ट अनुपालना के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से वर्जित होने से सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 (डी) के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी में होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 (डी) के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया है।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/5/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner